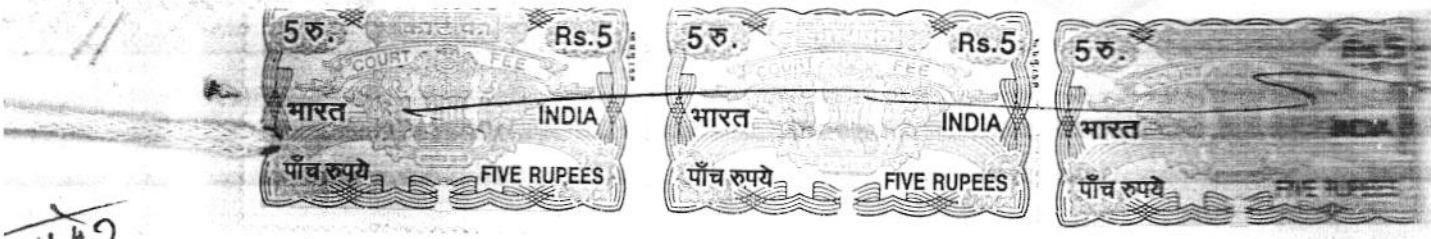

5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर (कैंप भोपाल)

रा.पुर्न.क्रमांक...............पी.बी.आर./2018 रायसेन

डालचंद आत्मज श्री मिठ्ठूलाल आयु 70 वर्ष
निवासी–ग्राम बण्डोली तहसील गैरतगंज
जिला–रायसेन

..........रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

भगवान सिंह उर्फ प्रीतम सिंह आयु 45 वर्ष
आत्मज श्री हीरालाल निवासी–ग्राम बण्डोली तहसील गैरतगंज,जिला–रायसेन
हाल पता–ग्राम बूढ़ागंज पोस्ट व तहसील गैरतगंज
जिला–रायसेन (म.प्र.)

..................अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

महोदयजी,

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर के प्रकरण कमांक पी.बी.आर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/2468 (डालचंद विरूद्ध भगवानसिंह) आदेश दिनांक 22.06.2017द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 741/अपील/2015–16 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में पारित आदेश दिनांक 01 अगस्त 2018 से दुखी एवं परिवेदित होकर यह पुर्नविलोकन आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष समय सीमा में सादर प्रस्तुत है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **पुर्नविलोकन 6193/2018/रायसेन/भूरा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–2–2019	आवेदकपक्ष की ओर से अभिभाषक श्री गुलाबसिंह चौहान द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 1.8.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :- (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुर्नविलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अत: यह पुर्नविलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	